



( राजस्थान-सरकार )

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 109/2017

बउनवान

गोविन्द पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी भीलवाडी तहसील छबडा जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, छबडा जिला बारां

(रेस्पोजेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री भगवान सिंह हाडा अभिभाषक

(अपीलांट)

2- पेरोकार सरकार

(रेस्पोजेन्ट)

निर्णय दिनांक 22.07.2019

अपीलांट ने यह अपील जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 331/2017 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2017 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके भीलवाडी की सरकारी भूमि किस्म गे0मु0 पटार पर सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 107 की रकबा 2 बीघा भूमि पर कब्जा कर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 100/- रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 04.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोजेन्ट को जयें नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय छबडा द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। पटवारी हल्का के बयान लिए बिना अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अलीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट को भौतिक रूप से कभी भी बेदखल नहीं किया है। पत्रावली में अपीलांट को बेदखली नामा भी शामिल नहीं है। उक्त आराजी की पेमाईशी भी नहीं की गयी है तथा कोई स्वतंत्र गवाहान भी पेश नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी गई है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नहीं है। अस्तु

जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय छबडा द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म गे0मु0 पठार पर कब्जा कर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, पुनः अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं और अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 331/2017 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2017 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. से जाँच करावे, कि अपीलांट यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम भीलवाडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 107 की रकबा 2 बीघा भूमि किस्म गे0मु0 पठार से कब्जा छोड़ कर बाड़ा हटा लिया है, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 331/2017 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 06.11.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2017 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( सुदर्शन सिंह तोमर )  
अति० जिला कलक्टर, बारां